20 भारत में पर्यावरण कानून, संगठन एवं प्रमुख आंदोलन

(Environmental Laws, Organizations and Major Movements in India)

भूमिका (Introduction)

पर्यावरण संबंधी कानून पर्यावरण के संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संबंधी कानूनों की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किस प्रकार लागू किया जाता है। वैदिक काल में भी पर्यावरण संरक्षण व उसके बेहतर उपयोग के कई उदाहरण मौजूद थे। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' तथा अशोक के 5वें स्तम्भलेख (Pillar Edict) में पर्यावरण और जीवों के संरक्षण संबंधी नियमों का उल्लेख था। ब्रिटिश काल में व्यापारिक उपभोग के लिये बहुत से जंगलों को काटा गया तथा शिकार द्वारा वन्यजीवों को मारा गया। 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य पक्षी व जन्तु संरक्षण नियम बनाया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या कर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया गया है।

स्वतंत्र भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के उपाय प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू किये गए। जन्तुओं के संरक्षण के लिये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 'मील का पत्थर' साबित हुआ।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [The Wildlife (Protection) Act, 1972]

1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश के वन्यजीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्यजीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया। जनवरी 2003 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 2002 रखा गया। इसके अंतर्गत दंड तथा जुर्माने के प्रावधान को कठोर कर दिया गया।

यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इस कानून में राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, जंगली पशुओं और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण, वन्यजीवन से समृद्ध अभयारण्यों एवं नेशनल पार्कों की स्थापना, जंगली पशुओं के व्यापार पर नियंत्रण, पशु उत्पादों पर कानून व कानून के उल्लंघन पर कानूनी सज़ा का प्रावधान है। इस अधिनियम में छह श्रेणियाँ हैं।

- अनुसूची-I एवं अनुसूची-II के भाग-2 में दी गई श्रेणियों के जीवों को नुकसान पहुँचाना संपूर्ण भारत में पूर्णतया प्रतिबंधित है एवं उल्लंघन पर कठोर सज़ा का प्रावधान है।
- अनुसूची-III एवं अनुसूची-IV में श्रेणीबद्ध किये गए जीव भी संरक्षित है, परंतु इन्हें हानि पहुँचाने पर तुलनात्मक कम सज़ा का प्रावधान है।
- अनुसूची-V में दिये गए जीवों का शिकार किया जा सकता है।
- अनुसूची-VI में श्रेणीबद्ध किये गए पौधों के कृषिगत उपयोग एवं वाणिज्यीकरण (Cultivation and Planting) पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी अनूसूची के तहत ही अधिकारियों को शिकार के संबंध में अपराध निर्धारित कर सज़ा देने एवं जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है।

1982 में लागू हुए इस कानून के संशोधन ने पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से जंगली पशुओं को पकड़ने व उनके परिवहन की अनुमति दे दी। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 2002 का संशोधन और भी सख़्त है। इस अधिनियम में एक नया अध्याय-IV A जोड़ा गया जिसमें जीवों के अवैध शिकार और व्यापार से अर्जित की गई संपत्ति की ज़ब्ती का प्रावधान है। इसने 'सामुदायिक रिज़र्व क्षेत्र' की स्थापना जैसी नई धारणाएँ भी सामने रखीं। इसने अनेक परिभाषाओं को बदला, मसलन अब पशुओं में मछलियाँ भी शामिल हैं। पारितंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये वनों के उत्पादों की पुनर्परिभाषा दी गई। इस अधिनियम को 2006 में पुनः संशोधित कर इसमें अध्याय-IV B और IV C जोड़े गए।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सभा में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम संशोधन, 2013 पेश किया। इसमें वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के लिये कठोर सज़ा तथा भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों (CITES) आदि के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस संशोधन विधेयक में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर पशु जाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को शामिल करने के साथ ही अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की शिकारी व संग्राहक जनजाति को कुछ हद तक शिकार के अधिकार प्रदान किये गए हैं। इस संशोधन विधेयक में अभयारण्यों तथा उनकी सीमा में शिकार करने पर 5 से 7 साल की सज़ा और 5 से ₹ 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, जो पहले 3 से 7 साल की सज़ा व ₹ 10,000 का

वनीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे जलावन की लकड़ी, भोजन, पशुओं के लिये चारे संबंधी ज़रूरतें परम्परागत वनों पर दबाव डाले बिना ही पूरी हो जाती हैं।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को तीन समूहों में बाँटा गया है- कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी और सार्वजनिक वानिकी।

कृषि वानिकी *(Farm Forestry)*

किसानों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना कि वे अपनी घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति हेतु स्वयं अपनी भूमि पर पौधे लगाएँ। यह भूमि खेत भी हो सकता है, घर के चारों ओर का क्षेत्र भी हो सकता है अथवा गौशाला आदि के आसपास की भूमि भी हो सकती है। इसके अलावा इसका उद्देश्य वाणिज्यिक भी हो सकता है और गैर-वाणिज्यिक भी। कृषि वानिकी के अन्य लाभों में मृदा अपरदन में कमी और कृषि फसलों को आंशिक छाया की उपलब्धता आदि के रूप में देखा जा सकता है।

सामुदायिक वानिकी *(Community Forestry)*

सामुदायिक वानिकी के तहत निजी भूमि की बजाय सामुदायिक भूमि पर समुदाय द्वारा ही वनारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से सामुदायिक वनों से मिलने वाले लाभ पर समस्त समुदाय का अधिकार होता है। यह कार्यक्रम उन लोगों को भी वनीकरण से जोड़ता है, जिनके पास अपनी निजी भूमि नहीं है। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह बीज, उर्वरक इत्यादि उपलब्ध कराए किंतु यह समुदाय की ज़िम्मेदारी है कि वह वृक्षों की रक्षा करे। हालाँकि, सामुदायिक भूमि को कभी-कभी व्यक्तिगत लाभ के लिये उपयोग कर लिये जाने से तनाव में वृद्धि होती है।

सार्वजनिक वानिकी *(Extension Forestry)*

इसके अंतर्गत वन लगाने का कार्य वन विभाग का है, जो सड़कों, नहरों, रेलवे ट्रैकों के किनारे तथा अन्य सरकारी भूमियों पर पौधरोपण करता है। **यह पूर्णतः केन्द्र पोषित कार्यक्रम है, जिसमें कनाडा और स्वीडन तकनीकी सहायता देते हैं जबकि वित्तीय मदद विश्व बैंक से प्राप्त होती है।**

उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों में सर्वाधिक सफलता कृषि वानिकी को ही मिली। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। जागरूकता का अभाव और असावधानीपूर्वक पौधे का चुनाव आदि ऐसे कारक रहे जो इस कार्यक्रम की सफलता में बाधक सिद्ध हुए। उदाहरण के लिये, इसके तहत बड़े पैमाने पर तेज़ी से बढ़ने वाले आक्रामक यूकेलिप्टस पौधे लगाए गए, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ियों (Timber) की उपलब्धता तो बढ़ाई किंतु अन्य प्रकार के पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

भारत में पर्यावरणीय संस्थाएँ (Environmental Institutes in India)

पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत के विभिन्न पर्यावरणविदों ने निजी तौर पर एवं सरकार की सहायता से पर्यावरण संस्थानों की स्थापना की, जिसके अंतर्गत विशिष्ट जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण हेतु संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इन संस्थानों द्वारा जीवों पर सर्वेक्षण कराए जाते हैं और उनकी संख्या का आकलन कर उनके लिये केन्द्र-सरकार एवं राज्यों द्वारा संरक्षण के आवश्यक कदम उठाने हेतु रिपोर्ट भेजी जाती है। ये संस्थाएँ जीव-जंतुओं के सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार को इनकी स्थिति से अवगत भी कराती हैं। भारत की पर्यावरण से संबंधित संस्थाएँ जो पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के लिये अनुसंधान का कार्य भी करती हैं, निम्नलिखित हैं-

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी *(Bombay Natural History Society-BNHS)*

यह जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन है। यह कई अनुसंधान कार्य प्रयासों को अनुदान के माध्यम से सहायता करता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) 15 सितंबर, 1883 को बम्बई में आठ प्रकृतिवादियों द्वारा शुरू किया गया। यह एक गैर- व्यावसायिक शोध संगठन था, जिसमें आत्माराम पांडुरंग और डॉ. सखाराम अर्जुन नामक दो भारतीय भी शामिल थे। यह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक जर्नल भी प्रकाशित करता है। कई प्रसिद्ध प्रकृतिवेत्ता जैसे पक्षीविज्ञानी सलीम अली और एस. डिल्लन रिप्ले इससे जुड़े रहे। BNHS हॉर्नबिल नामक मैगज़ीन का प्रकाशन करता है। 'हॉर्नबिल हाउस मुम्बई' के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था का उद्देश्य प्राथमिक रूप से जैव विविधता की रक्षा हेतु शोध, ज्ञान और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना है। BNHS (Bombay Natural History Society) ने सलीम अली की पक्षियों पर आधारित हैंडबुक को भी प्रकाशित किया। BNHS का लोगो ग्रेट हॉर्नबिल का है, जो विलियम द्वारा दिया गया था।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण *(Botanical Survey of India-BSI)*

1890 में स्थापित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) का शुरुआती उद्देश्य देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और आर्थिक महत्त्व की पादप प्रजातियों की पहचान करना था।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
(Botanical Survey of India)

एवं सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाएँ पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गईं जिसमें गौरा देवी समेत 21 और महिलाएँ थीं। अंत में वन्यजीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रैणी गाँव का जंगल नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई।

यह आंदोलन सैकड़ों विकेन्द्रित तथा स्थानीय स्वत: स्फूर्त प्रयासों का परिणाम था। इस आंदोलन के जनक नेता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चण्डी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यत: ग्रामीण महिलाएँ थीं, जो जीवन-यापन के साधन व समुदाय को बचाने के लिये तत्पर थीं। पर्यावरण ह्रास/विनाश के खिलाफ शांत और अहिंसक विरोध इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता है।

लक्ष्य

- आर्थिक स्वावलम्बन के लिये वनों का व्यापारिक दोहन बंद किया जाए।
- प्राकृतिक संतुलन के लिये वृक्षारोपण के कार्यों को गति दी जाए।
- चिपको आंदोलन की स्थापना के पश्चात् निम्न नारा दिया गया– "क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, ज़िंदा रहने के आधार।"

चिपको आंदोलन की प्रासंगिकता एवं प्रभाव

उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिये रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विन्ध्य तक फैला। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विन्ध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही, यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत संसाधन नीति बनाने में भी सफल रहा।

साइलेंट वैली आंदोलन (Silent Valley Movement)

साइलेंट वैली आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ ज़िले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिये शुरू किया गया था। यह आंदोलन केरल के कुंतीपूझा (Kunthipuzha) नदी पर बनाए जा रहे जलविद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में था। जिन क्षेत्रों में यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वह क्षेत्र सदाबहार वन द्वारा आच्छादित क्षेत्र है जिसमें पौधों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जलविद्युत परियोजना द्वारा इनके नष्ट होने का खतरा बन गया था। यह वन क्षेत्र अत्यधिक घना है जिसकी वजह से यह बहुत ही शांत रहता है, जिसके कारण इसे शांत घाटी कहते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ, विशिष्ट जीव लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरि लंगूर पाए जाते हैं, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति हैं। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जलविद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह पहला आंदोलन था जिसमें विशिष्ट लोगों ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया और यह कामयाब रहा। घाटी को 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया।